

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी. सुतारिक जमाबंदी लेवट 2070-2073 जमाबंदी 2075 राजस्थान
 में रुपा पुत्र दोगा जाति रेगड निवासी ~~खेती~~ दर्ज है। जबकि संलग्न
 आधार कार्ड राशन कार्ड एवं कंप्यूटर ग्राम वेबसाइट मापशिष्टा लक्ष्य्य प्रमाण
 एवं जेपली ग्राम की बलेमाठ जमाबंदी के खाता संख्या 80 के अनुसार
 दोगा एवं रूपचन्द पुत्र दोगा एक ही व्यक्ति बताया गया है।
 संलग्न दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र से भुक्तार शुद्ध रूप जात उचित होगा

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमान ~~संलग्न दस्तावेज एवं रिपोर्ट पर 10/10/25~~
 दस्तावेजों का कंप्यूटर द्वारा (कम जाना लक्ष्य्य)

तहसीलदार की रिपोर्ट

प. ह. की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख की रिपोर्ट के
 आधार पर उन्नाज इन्द्रा की अभिलेख की जाती है।

2025
 605

शिवर प्रभारी

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

क्रमांक/ 239

दिनांक:- 11/06/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ~~खेती~~ तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 42 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	रूपा पुत्र दोगा जाति- रेगड शेख 45522	80	0.97	1) रूपचन्द पुत्र दोगा जाति:- रेगड शेख 45522	80	0.97



क्रमांक:- 5197-98

दिनांक - 11/06/25

प्रतिष्ठाप :- 1) तहसीलदार नसीराबाद के पालक
 2) आदेश प्राप्त

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर